



हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

(संसद के अधिनियम संख्या-25 (2009) के तहत स्थापित, नैक से 'ए' ग्रेड प्राप्त)
(Established vide Act No. 25 (2009) of Parliament, Accredited 'A' Grade by NAAC)
जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा - 123031 District Mahendergarh, Haryana

No.: CUH/E&GA/2024/Office Order/ 432/10

दिनांक: 10.04.2024

कार्यालय आदेश/ Office Order

विश्वविद्यालय की संपत्ति पर किसी भी अनधिकृत कब्जे के मामले में, संबंधित विभागाध्यक्ष/शाखा प्रभारी द्वारा बाजार किराया (व्यावसायिक) भुगतान किया जाएगा और यह उसके वेतन से काटा जाएगा।

In case of any unauthorized occupation of the University property, market rent (commercial) will be paid by the concerned Head of the Department/Branch In Charge and the same will be deducted from his/her salary.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This is issued with the approval of the Competent Authority.

सहायक कुलसचिव/Assistant Registrar
Estate & General Administration Branch

प्रति/Copy to:

1. सभी शिक्षक, ह.के.वि./All faculty members, CUH
2. सभी शिक्षणेतर कर्मचारी, ह.के.वि./All non-teaching employees, CUH
3. समकुलपति सचिवालय (समकुलपति की सूचना हेतु), ह.के.वि./Pro Vice-Chancellor's Secretariat, CUH
4. कुलसचिव कार्यालय (कुलसचिव की सूचना हेतु), ह.के.वि./Office of the Registrar, CUH